

राधिका झा
आई०ए०एस०
राज्य परियोजना निदेशक



राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा, निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
तपोवन मार्ग, रायपुर देहरादून
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष/फैक्स - 0135 2781944
Toll Free Number- 1800 180 4132

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:- रा0प0का0/465/एम0डी0एम0-08 (AWP&B)/ दिनांक 3 अक्टूबर 2013


विषय:- मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं को प्रतिवर्ष रू0 1000/- की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 692/XXIV/(1)/2013-25/2007 टी0सी. दिनांक 01 अगस्त 2013 के अनुपालन में राज्य सरकार के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत भोजनमाताओं को वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में प्रतिवर्ष रू0 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. उक्त वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि केवल उन्हीं भोजनमाताओं को अनुमन्य होगी जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष में लगातार 6 महीने की सेवा पूर्ण की हो।
2. प्रोत्साहन धनराशि वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दी जाएगी।
3. भोजनमाताओं का कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
4. प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान बैंक चैक से किया जाएगा।

प्रोत्साहन धनराशि भोजनमाताओं को तत्काल उपलब्ध कराया जाना है, अतः जनपद/विद्यालयों में उपलब्ध मध्याह्न भोजन योजना की धनराशि से भोजनमाताओं को प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त होने पर की जाएगी।


भवदीया

(राधिका झा)

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
देहरादून, उत्तराखण्ड

पृ0सं0: रा0प0का0/465-68/एम0डी0एम0-08 (AWP&B)/2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) जिला अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
- (3) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।


(राधिका झा)

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
देहरादून, उत्तराखण्ड